पत्रांक–SPMG/UD&HD/NMCG/04/2018-........167

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

TSP
नागरिक सुविधा

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०–हिनू , रांची ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक–03/01/19

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में TSP प्रक्षेत्र के साहेबगंज नगर परिषद् को प्रमुख तीन नालों में ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रवाह को रोकने के निमित्त जालीनुमा अवरोधक लगाने हेतु राज्य योजना अंतर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल 15,00,000/–(पंद्रह लाख रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–31.08.18 को माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के अध्यक्षता में नामामि गंगे प्रियोजना की समीक्षात्मक बैठक में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उन सभी पाँच राज्यों, जहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है, के 'गंगा नदी बेसिन' शहरों में प्रवाहित मुख्य नालों से गंगा नदी में ठोस अपशिष्ट के प्रवाह को रोकने के निमित्त जालीनुमा अवरोधक लगाने हेतु निदेशित किया गया है।

झारखण्ड राज्य में गंगा नदी साहेबगंज जिला में प्रवाहित होती है। उक्त आलोक में **वित्तीय वर्ष 2018–19 में TSP प्रक्षेत्र के साहेबगंज नगर परिषद् को प्रमुख तीन नालों में ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रवाह को रोकने के निमित्त जालीनुमा अवरोधक लगाने हेतु राज्य योजना अंतर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल 15,00,000/–(पंद्रह लाख रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–48–नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के अधीन मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष– 80–सामान्य–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–34–शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48S221780796340679 से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **साहेबगंज नगर परिषद्** के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी साहेबगंज कोषागार से की जायेगी।

4. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में उक्त योजना हेतु साहेबगंज नगर परिषद् को कोई राशि आवंटित नहीं की गई है, अतः उपयोगिता संबंधी विवरणी शून्य है।

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

7. इस राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

9. संबंधित निकाय के प्रशासी पदाधिकारी स्वीकृत राशि के Online आवंटन निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर राशि की निकासी करते हुए, स्वीकृत राशि से चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिवेदन विभाग को प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि०, दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– SPMG/UD&HD/NMCG/04/2018-167 राँची, दिनांक– 03/01/19

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/प्रमंडलीय आयुक्त, दुमका/उपायुक्त, साहेबगंज/साहेबगंज नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज कोषागार/नोडल पदाधिकारी, e-Procurement Cell/श्री कुणाल विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ऑनलाईन आवंटन हेतु)/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/ एस०पी०एम०जी० कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।